संख्या–2460 / तीस–3–10–14बी / 09

प्रेषक,

कुलदीप एन0 अवस्थी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 20 अप्रैल, 2011

विषयः–उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कांशीराम नगर के भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2561ए / 2010–68ए / 10दिनांक 06–08–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कांशीराम नगर के लिए निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी भूमि पर अनावासीय भवन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन की धनराशि रू0 99.82 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकंलित की गयी, धनराशि रू0–90.72 लाख (रू0 नब्बे लाख बहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रूपये–90.72 लाख (रू0 नब्बे लाख बहत्तर हज़ार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि में से रू0 50.00 लाख प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी। इस धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग होने एवं कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर दूसरी किस्त के रूप में रू0 40.72 लाख की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। योजना को अनुमोदित लागत में ही एक वर्ष की समायावधि में पूर्ण कराया जाय। यदि लागत में वृद्धि होती है तो निर्माण एजेन्सी अपने निजी स्रोतो से वहन करेगी। शासन द्वारा अतिरिक्त बढ़ी धनराशि उपलब्ध नही करायी जायेगी।

2– उक्त आहरित धनराशि बैंक / पी0एल0ए0 / डिपाजिट आदि खाते में जमा नही की जायेगी।

3– उक्त निर्माण कार्य तब तक न प्रारम्भ किया जाय जब तक उपरोक्त भवन हेतु शासनादेश संख्या–303 / दस–06–89 / 04 दिनांक 2–3–2006 के प्राविधानानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक (तकनीकी) स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय। भवन का निर्माण समयबद्धता से पूर्ण कराया जाय, साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। संबंधित संभागीय / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी समय–समय पर कार्य का निरीक्षण करते रहेंगे व सामान्य पर्यवेक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे।

4– प्रस्तावित मार्गो की मात्रा / लम्बाई यथावत रहेगी। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था पर होगा।

5–प्रायोजनान्तर्गत मिटटी भराई हेतु रू0 5.96लाख प्रस्तावित है किन्तु सक्षम स्तर से अनुमोदित कन्टूर मैप की प्रति संलग्न न होने के कारण इस हेतु एकमुश्त रू0 1.00लाख अनुमन्य की जा रही है। यदि मिट्टी भरायी की आवश्यकता हो तो व्यय वित्त समिति की दिनांक 8–3–2009 की बैठक में दी गई व्यवस्थानुसार सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित कन्टूर मैप एवं मिटटी भरायी के मात्रा के अनुसार ही प्रायोजना प्रस्तावों / आगणनों में मिट्टी भराई का प्रावधान किया जाय। मिट्टी भराई हेतु निर्माण स्थल से कितनी दूरी पर मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उपरोक्तानुसार मिट्टी भराई की मात्रा / लागत सुनिश्चित होने के पश्चात मिट्टी की लागत वास्तविकता के अनुसार देय होगी।

6– आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। प्रायोजना पर अनुमोदन के पश्चात तकनीकी स्वीकृति निर्गत करते समय विशिष्टयों, कार्यमदों , उनकी मात्राओं एवं दरों में यदि 5 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव 3 माह के अन्दर पुनः परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाय।

7– स्वीकृति की जा रही धनराशि के मासिक व्यय विवरण प्रपत्र–बी0एम–13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–9 एवं परिवहन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1176/10–2002–238/2002 दिनांक 13–9–2002 तथा अर्द्धशा0पत्र संख्या–बी–1–3032/1033–2002 दिनांक 28–8–2002 में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में दिये गये अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– भवन में विकलांगजन की सुविधा हेतु वैरियर फ्री आवागमन की व्यवस्था की जायेगी। विशेष रूप से भवन में प्रवेश आदि हेतु रैम्प व रेलिंग की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायेगी।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–43 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–कार्यालय भवन–051–निर्माण–03–संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

10– उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0संख्या–यू0ओ0–ई–9–220/दस/11 दिनांक 20 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप एन0 अवथी)
उप सचिव।

संख्या–2460(1)/तीस–3–10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4– वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ।
5– जिलाधिकारी, कांशीराम नगर।
6– सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कांशीराम नगर।
7– संबंधित कार्यदायी संस्था (द्वारा परिवहन आयुक्त)
8– नियोजन अनुभाग–4
9– वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–9
10– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, लखनऊ।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी)
उप सचिव।